राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4903/2003

डॉ. ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) एवं पंचायती राज विभाग (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
4. श्री कमलकांत शर्मा, पार्षद वार्ड सं. 33, नगर निगम कोटा दक्षिण कोटा आर/ओ महावीर नगर ।।, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.09.2022
आदेश की दिनांक : 09.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.07.2022 एवं 03.09.2022 को चुनौती दी है। आदेश दिनांक 20.07.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण मेडिकल कॉलेज, कोटा से मेडिकल कॉलेज, भीलवाडा किया गया है। तत्पश्चात अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा मेडिकल कॉलेज, भीलवाडा से सीएचसी, Antali भीलवाडा किया गया। इस अपील में अधिकरण ने आदेश दिनांक 29.11.2022 में अपीलार्थी के पक्ष में कोई अंतरिम स्थगन आदेश पारित नहीं किया एवं प्रत्यर्थी विभाग को नोटिस जारी किया। वर्तमान में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 पारित हुए करीब डेढ वर्ष से अधिक समय हो चुका है। अतः अब इतने अधिक समय पश्चात स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।
2. परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)